

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
राजस्व आसूचना निदेशालय

**अधिसूचना सं.2/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/डीआरआई)**

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2017

का.आ. (ई). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) द्वारा संशोधित, संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के अनुसरण में एवं निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित आदेश/अधिसूचना के अधिक्रमण में महानिदेशक राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा तालिका के स्तंभ (6) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसी(सियों) के नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	को जवाबदेह/के ज़रिये आयात	बोर्ड द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना सं. एवं दिनांक	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मै. पी. जी. इंडस्ट्री लिमिटेड, ए-30, 2सरा तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, एवं 9 अन्य.	DRİ फा. सं. 50D/67/2013-CI दिनांक 17.01.2014.	आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली.  आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, रायगढ़.  आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई.  आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.  आयुक्त सीमा शुल्क (सी पोर्ट-आयात), कस्टम हाउस, चेन्नई.	आदेश दिनांक 24.02.2014 (फा. सं. 437/15/ 2014-Cus IV)	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली.
2.	मै. एच. एम. इंटरनेशनल, 0-17, निचला भू तल एवं दूसरा तल, लाजपत नगर -II, नई दिल्ली -110024 एवं 6 अन्य.	DRİ फा. सं. 50D/137/2005-CI दिनांक 26.06.2007.	आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली.  आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात),	अधिसूचना सं. 57/2008-Cus (N.T.) दिनांक 29.05.2008, दिनांक 30.10.2009 शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली.

			<p>न्यू कस्टम हाउस, मुंबई.</p> <p>संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई.</p> <p>अपर आयुक्त सीमा शुल्क, न्यू कस्टम हाउस, कोलकाता.</p> <p>आयुक्त सीमा शुल्क, कोलकाता.</p>		
3.	मै. गर्ग कॉकास्ट लि., 7/3, रूप नगर, नई दिल्ली एवं 10 अन्य	फा. सं. 855(14) ASR/2000/Pt./ 500 दिनांक 27.06.2005.	<p>आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली.</p> <p>आयुक्त सीमा शुल्क, अमृतसर.</p> <p>आयुक्त सीमा शुल्क, चेन्नई.</p>	अधिसूचना सं. 59/2006-Cus (N.T.) दिनांक 26.05.2006.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली.
4.	मै. एशियन होटल्स (नॉर्थ) लि., होटल हयात रिजेन्सी, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली एवं 5 अन्य	DRI फा. सं. 50D/15/2011- CI/1676 दिनांक 30.03.2012/ 09.04.2012	<p>आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, रायगढ़.</p> <p>आयुक्त सीमा शुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली.</p> <p>आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.</p>	आदेश दिनांक 17.09.2012 (फा. सं. 437/40/ 2012- Cus IV)	अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-1/2017-CI]

(एस. जयप्रहासम)  
संयुक्त निदेशक